

# बिगुल

मासिक समाचार पत्र • वर्ष 1 अंक 10-11 (संयुक्तांक)  
नवम्बर-दिसम्बर 1999 • तीन रुपये • बारह पृष्ठ

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से

दिल्ली के 1,37,000 लघु उद्योगों के सिर पर बन्दी की तलवार

**पर्यावरण की चिन्ता या 15 लाख से भी अधिक मजदूरों की रोजी छीन लेने की साजिश?**

दिल्ली का हवा-पानी दुरुस्त करने के नाम पर मजदूरों पर कहर बरपा करने की तैयारी न्यायपालिका की मदद से एक बार फिर पूरी हो चुकी है। पिछली बार पर्यावरण शुद्ध करने के नाम पर कुल 168 कारखाने बन्द कर दिये गये थे और 50,000 मजदूरों के परिवारों को बेकारी-तबाही के गार में झोंक दिया गया था।

इस बार जिस हमले की तैयारी है, उसकी विक्रमालता के आगे पिछला "पर्यावरण-मद्य" तो कुछ भी नहीं था। वह तो महज एक बानगी था। सुप्रीम कोर्ट के विगत आठ सितम्बर के आदेश के मुताबिक दिल्ली के रिहायशी और नॉन-कन्फार्मिंग इलाके में चल रही कुल 1 लाख 37 हजार लघु औद्योगिक इकाइयों के सिर पर बन्दी की तलवार लटक रही है, जिसकी कीमत कम से कम 15 लाख मजदूर बेकार होकर चुकायेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गत 8 सितम्बर को यह फर्मान जारी किया कि अगले तीन महीनों के भीतर रिहायशी और नॉन-कन्फार्मिंग इलाकों में चल रहे कारखानों को या तो नियमित औद्योगिक क्षेत्रों में हटा दिया जाये, या फिर बन्द कर दिया जाये। पुनः 13 सितम्बर को कोर्ट ने एक और आदेश जारी किया कि एक नवम्बर के बाद कारखानों का प्रदूषित पानी यमुना में न गिराया जाये (फिर यह मोहलत 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई।)

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जुड़ा हुआ पहला सवाल तो यही है कि इस फैसले के पीछे क्या वाकई मामला पर्यावरण-प्रदूषण का है? पर इस सवाल पर विचार से पहले कुछ और तथ्यों पर गौर करना जरूरी है।

## सम्पादकीय अग्रलेख

यू तो दिल्ली सरकार ने लघु उद्योगों को हटाने के लिए दिसम्बर अन्त तक की समय-सीमा को आगे खिसकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ और समय मांगने का फैसला किया है, पर यह समस्या का समाधान नहीं, बल्कि चुनावी लोकलुभावन राजनीति के तकाजों और एक साथ बेकार होने वाले लाखों मजदूरों के कोप के संभावित विस्फोट की आंख से दिल्ली को बचाने की चिन्ता और भय के कारण लिया गया फैसला है। जो मूल समस्या है, उस पर आज ही विचार करना बेहद जरूरी है।

सबसे पहले 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी इलाकों में चल रहे उद्योगों को बंद करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे मुख्यतः दिल्ली सरकार की हाई पावर कमेटी द्वारा दी गई गलत जानकारी था। इस कमेटी को प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की पहचान करनी थी। इसने लघु उद्योगों से उत्पादन के प्रकार, परिमाण, बिजली की खपत, श्रमिकों की संख्या आदि से सम्बन्धित जानकारी मांगी और 43 हजार इकाइयों ने ये आंकड़े मुहैया कराये। लेकिन कमेटी ने प्रदूषण-सम्बन्धी जानकारी जुटाने के बजाय सारी इकाइयों का वर्गीकरण भौगोलिक दृष्टि से कर दिया और दिल्ली मास्टर प्लान के मुताबिक कन्फार्मिंग और नॉन-कन्फार्मिंग इलाकों में चल रही इकाइयों को बंद करने की सिफारिश कर दी। इसके बाद लघु उद्योगों को स्थानान्तरित करने के लिए 1397 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया लेकिन 52 हजार आवेदनों में से 30 हजार को बिना कोई कारण

बताये निरस्त कर दिया गया। इसके बाद इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विगत 8 सितम्बर को नया आदेश जारी किया।

क्या वाकई यह सारी कसरत पर्यावरण की चिन्ता में हो रही है? बेशक पर्यावरण का प्रश्न एक गंभीर प्रश्न है। लेकिन न्यायपालिका को इसी की चिन्ता थी तो उसे सबसे पहले दिल्ली में निजी वाहनों से होने वाले प्रदूषण (जो सर्वाधिक होता है) को कम करने के लिए उनपर रोक लगाने और सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश सरकार को देना चाहिए। दूसरी बात, अदालत ने खुद स्वीकार किया है कि यमुना के प्रदूषण के लिए सरकार और मिल-मालिक—दोनों ही जिम्मेदार हैं। सच तो यह है कि भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने इस सम्बन्ध में कभी कुछ किया ही नहीं। प्रदूषित कचरे के निस्तारण व जल-शोधन के लिए 15 संयंत्र सरकार को लगाने थे, पर उनके लिए अभी तक जमीन भी नहीं ली गई है। कोर्ट के आदेशानुसार प्रदूषित कचरे का प्राथमिक निस्तारण कारखाने को ही करना था। पर कारखाना मालिकों ने अबतक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया और अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह नोटिस जारी किया है कि यदि दो माह के भीतर कारखानों में ऐसे प्लाण्ट नहीं लगे तो उन्हें बन्द कर दिया जायेगा।

चिकने-चुपड़े लाल गालों वाले सफेद कालरी बाबू लोग जब प्रकृति के विनाश और प्रदूषण-नियंत्रण की गहरी चिन्ता में बातें करते हैं तो उनसे यह पूछने को जी चाहता है कि प्रदूषण-निवारण और पारिस्थितिक-सन्तुलन बहाल करना निहायत (पेज 12 पर जारी)

तराई के उद्योगपतियों की बैठक में होण्डा मजदूरों पर सीधा हमला "कर्मचारियों से किसी समझौते की जरूरत नहीं"

(बिगुल संवाददाता)

काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) 19 नवम्बर। 'कुमाऊं-गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज' के तत्वावधान में यहां सम्पन्न जिला उद्योगबन्धुओं की बैठक में जहां उद्योगपतियों ने क्षेत्र के बहुराष्ट्रीय कारखाने 'होण्डा पावर प्रोडक्ट्स' में तालाबन्दी से जुझ रहे श्रमिकों के आन्दोलन को अवैध करार देने की उद्घोषणाएं कीं; और कर्मचारियों से आगे किसी भी प्रकार का करार न करने की सलाह दी, वहीं चैम्बर अध्यक्ष राजीव घई ने पुनः एक विज्ञप्ति के माध्यम से कह डाला कि चन्द स्वार्थी लोग श्रमिकों को भड़काकर व अशांति फैलाकर उद्योगों को बन्द कराने का प्रयास करके भोले-भाले श्रमिकों के रोजगार से खिलवाड़ करना चाहते हैं।

उल्लेखनीय है कि तराई क्षेत्र की जनरेटर उत्पादक बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'होण्डा-सील पावर प्रोडक्ट्स' के श्रमिक अपने उस त्रिवर्षीय वेतन समझौते के लिए संघर्षरत हैं जिसे विगत 1 जुलाई को हो जाना चाहिए था। श्रमिक यूनियन की तरफ से मांग पत्र देने के बावजूद प्रबन्धतन्त्र के कान पर जब जूं तक न रेंगी तो होण्डा श्रमिकों ने कारखाने के भीतर ही शान्तिपूर्ण आन्दोलन शुरू कर दिया। उधर प्रबन्धकों ने श्रमिकों को डराने-धमकाने के लिए नोटिस थमानी शुरू कर दीं और किसी समाधान के न निकल पाने की स्थिति में श्रमिकों ने 9 सितम्बर से चार घण्टे का टूलडाउन आन्दोलन शुरू कर दिया था। जवाब में प्रबन्धकों ने पहले कैजुअल और प्रशिक्षु मजदूरों की छुट्टी कर दी, फिर यूनियन अध्यक्ष को निलम्बित और संयुक्त मंत्री सहित चार श्रमिकों को निष्कासित कर दिया, मजदूरों पर झूठे मुकदमे कायम किये और 14 अक्टूबर से कारखाने में आंशिक (सेवायोजन) तालाबन्दी करके सभी मजदूरों के कारखाने में प्रवेश पर ही प्रतिबन्ध लगा (पेज 12 पर जारी)

## इस अंक में विशेष

चीन की नवजनवादी क्रान्ति के अर्द्धशताब्दी के अवसर पर (पृष्ठ 6-7)

जन्ममुक्ति की अमर गाथा : चीनी क्रान्ति की सचिज कथा

अक्टूबर क्रान्ति की वर्षगांठ के अवसर पर अक्टूबर की हवाएं मरी नहीं हैं! वे फिर उठेंगी भयंकर तफान बनकर! (पृष्ठ 8)

जन्मतिथि (28 नवम्बर) के अवसर पर फ्रेडरिक एंगेल्स का लेख : कम्युनिस्ट समाज के बारे में कुछ बातें (पृष्ठ 5)

मजदूर नायक : क्रान्तिकारी योद्धा बोल्शेविक मजदूर संगठनकर्ता इवान वसील्येविच बाबुशिकन (पृष्ठ 11)

**देश के विभिन्न हिस्सों में फर्जी मुठभेड़ों में कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों की हत्या दमन का पहिया फिर रफ्तार पकड़ रहा है!**

दमन का पहिया एक बार फिर घरघराहट के साथ रफ्तार पकड़ने लगा है। सरकारी आतंकवादी मशीनरी बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से अपनी ही व्यवस्था

कोने-अंतरे में नजर आते रहे। पर वास्तविकता उससे कहीं अधिक भयावह है। मुठभेड़ों की बहुतेरी खबरें तो स्थानीय-क्षेत्रीय अखबारों में ही छपकर रह जाती

हत्यारी पुलिस के विशेष दस्ते ने बंगलोर में एक बैठक में शामिल भा.क.पा. मा-ले (पीपुल्सवार) संगठन की केन्द्रीय कमेटी के तीन सदस्यों को वहीं गोली मार दी

**सरकारी आतंकवाद के खूनी पंजे, पूंजीवादी लोकतंत्र का चिथड़ा झण्डा और भाजपा सरकार के फासिस्ट चरित्र का नंगापन**

के कानूनों की घञ्जी उड़ाते हुए लगातार राजनीतिक हत्याओं में लगी हुई है, जिसके शिकार मुख्यतः देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी संगठनों के कार्यकर्ता हो रहे हैं।

विगत दो महीनों के भीतर आन्ध्र प्रदेश, बिहार और देश के विभिन्न हिस्सों में "मुठभेड़ों" के नाम पर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की हत्याओं के कई समाचार पूंजीवादी राष्ट्रीय अखबारों के

रही हैं। ऐसी खबरों के प्रति राष्ट्रीय बुरुजुआ अखबार आम तौर पर "ब्लैक आउट" का रवैया अपनाते हैं।

**फर्जी मुठभेड़ें, फर्जी मुकदमे और दमन का आतंकराज : उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश में**

ऐसी घटनाओं में हाल की सर्वाधिक बर्बर घटना दिसम्बर माह के प्रारम्भ में हुई जब आन्ध्र प्रदेश की

और फिर उनके शवों को हेलीकॉप्टर से आन्ध्र के जंगलों में पहुंचाकर यह प्रचार किया गया कि ये तीन "दुर्दान्त नक्सलवादी" वहीं मुठभेड़ के दौरान मारे गये। गोदावरी घाटी, आन्ध्र व सीमावर्ती म.प्र.-महाराष्ट्र के जंगलों में दमन का नंगा नाच जारी है। तरह-तरह के "नक्सलवाद-विरोधी बलों" को फर्जी मुठभेड़ों की खुली छूट है। क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं, यहां तक (पेज 10 पर जारी)

















## सरकारी आतंकवाद के खूनी पंजे, पूंजीवादी लोकतंत्र का चिथड़ा झण्डा और भाजपा सरकार के फासिस्ट चरित्र का नंगापन

(पेज 1 से आगे)

कि संस्कृतिकर्मियों-मानवाधिकारकर्मियों पर भी सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं।

उपरोक्त घटना के कुछ ही दिनों बाद 11 नवम्बर को आन्ध्र के बारांगल जिले में एक गाँव में बैठक कर रहे भा.क.पा. मा-ले (जनशक्ति) संगठन के चार कार्यकर्ताओं की पुलिस ने हत्या कर दी जिनमें दो महिलाएँ भी थीं। इसके तीन दिन बाद आंध्र के ही करीमनगर जिले में उपरोक्त शहीद साथियों की याद में आयोजित सभा पर धावा बोलकर पुलिस ने जनशक्ति ग्रुप के ही चार और कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी।

बिहार में भी क्रान्तिकारी वामपंथी कार्यकर्ताओं की हत्या, और उन्हें समर्थन देने वाले गरीबों के उत्पीड़न का सिलसिला लालू सरकार ने लगातार जारी रखा है। भाजपा-समता समर्थक/समर्थित रणवीर सेना और प्रतिक्रियावादी भूस्वामियों के सशस्त्र दस्ते भी इस काम में आतंकवादी पुलिस तंत्र का बड़बुदक साथ दे रहे हैं। भोजपुर, रोहतास, सासाराम और जहानाबाद क्षेत्र में दमन लगातार बढ़ता जा रहा है।

उत्तरप्रदेश की भाजपा सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। अभी पिछले दिनों बिहार-उत्तरप्रदेश सीमा पर चकिया-चन्दौली क्षेत्र में पुलिस ने कुछ अल्पवयस्क लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है और यह आरोप लगाया है कि ये लड़कियाँ माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र के "खूंखार आतंकवादियों" की मदद करती हैं। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में क्रान्तिकारी वामपंथी कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे थोपे जा रहे हैं। तराई क्षेत्र के उद्योगों में विगत दो-तीन वर्षों के दौरान उठते रहने वाले औद्योगिक मजदूरों के संघर्षों में जो भी क्रान्तिकारी जन-संगठन सहयोग करते रहे हैं उन्हें "अशांति भड़काने वाले उग्रवादी" बताने वाले बयान तराई क्षेत्र के उद्योगपतियों के संगठन और राज्य की भाजपा सरकार के मंत्री (जो उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं) सुर में सुर मिलाकर जारी करते रहे हैं और क्षेत्रीय अखबार उन्हें खूब "सनसनीखेज" खबर के रूप में उछालते रहे हैं। दूसरी ओर, सरकारी तंत्र

की पूरी मदद से कारखानों के मालिकान भाड़े के गुण्डों की मदद से जबर्दस्त "आतंकवादी" कायम करके आन्दोलनों को कुचलते रहे हैं, पर यह सच्चाई किसी भी क्षेत्रीय अखबार में नहीं स्थान पाती रही है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के दमन और सफाये का अभियान देश के अन्य हिस्सों में भी जारी है। हाल ही में राजस्थान में भाकपा मा-ले (न्यू डेमोक्रेसी) संगठन के एक कार्यकर्ता की पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी। यूँ इस काम में म.प्र. और महाराष्ट्र की कांग्रेसी सरकारें भी केन्द्र और राज्यों की भाजपा सरकारों से पीछे नहीं हैं। वामपंथी कार्यकर्ताओं-संस्कृतिकर्मियों को धमकाने-प्रताड़ित करने का सिलसिला वहाँ भी लगातार जारी है।

विगत एक वर्ष के भीतर देश के विभिन्न हिस्सों में सैकड़ों कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पुलिस की गोलियों के शिकार बने हैं और हजारों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर तरह-तरह के फर्जी मुकदमे थोप दिये गये हैं। और यह सिलसिला अब लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है।

### जो इस व्यवस्था के औचित्य पर सवाल उठाते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं!

देखा जाये तो यह स्थिति कोई अप्रत्याशित नहीं है। इस स्थिति पर अचंभा शायद उसी को होगा जिसके दिमाग में पूंजीवादी जनतंत्र को लेकर कोई भ्रम मौजूद हो। जबानी जमाखर्च के बजाय, जैसे ही कोई राजनीतिक शक्ति इस राजनीतिक व्यवस्था और राज्यसत्ता के असली चरित्र को उजागर करना शुरू करती है, तमाम समस्याओं के समाधान के तौर पर सामाजिक क्रान्ति का विकल्प प्रस्तुत करना शुरू करती है, इस सच्चाई को आम मेहनतकश जनता तक ले जाने की कोशिश करती है और विभिन्न मसलों-मांगों पर संगठित होकर लड़ने के लिए उसका आह्वान करती है, वैसे ही पूंजीवादी जनवाद के रामनामी दुपट्टे के भीतर से दमन-उत्पीड़न के तमाम खंजर-बघनखे

बाहर आ जाते हैं और सरकारी प्रचार-तंत्र में कार्यरत गोयबेल्स की औलादों से लेकर पूंजीवादी अखबारों के भाड़े के टट्टू एक स्वर से "आतंकवादी-उग्रवादी-देशद्रोही" आदि-आदि की गुहार लगाने लगते हैं। यह भारत ही नहीं, ज्यादा "जनवादी" माने जाने वाले पूंजीवादी देशों में भी होता है।

उदारीकरण की नीतियों पर अमल के तथाकथित दूसरे दौर में, फासिस्ट भाजपा-पतित सामाजिक जनवादी गठबंधन के शासनकाल में यदि दमन का लगातार सिलसिला एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये आर्थिक नीतियाँ आने वाले दिनों में पूरे देश की मेहनतकश किसान-मजदूर जनता और आम मध्य वर्ग पर जो कहर बरपा करने वाली हैं, उनके नतीजे के तौर पर बढ़ता जन असंतोष देशव्यापी जन उभार की शकल ले सकता है। इतिहास की नसीहत शासक वर्गों के भी सामने है और तदनुसार वे आने वाले दिनों की तैयारी कर रहे हैं। विगत आठ-नौ वर्षों के दौरान, यहाँ-वहाँ मजदूरों-किसानों के जो भी आन्दोलन हुए हैं, उनका नृशंसापूर्वक दमन होता रहा है। राजनीतिक ताकतों में, राज्यसत्ता के दमन का सबसे अधिक सामना लगातार कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों ने किया है और यह सिलसिला 1967 से ही लगातार जारी है। इसका कारण यह है कि शासक वर्ग के समझदार राजनीतिक प्रतिनिधि, चाहे वे किसी भी दल में हो, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शिविर की आज की बिखरावपूर्ण स्थिति और समस्याओं के बावजूद उसे ही हर-हमेशा, इस व्यवस्था के लिए वास्तविक, संभावना-सम्पन्न चुनौती के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि यह बुझने वाली मशाल नहीं है और देर-सबेर अपने ठहराव से मुक्त होकर यह जब आगे बढ़ेगी तो उदारीकरण कुचक्र से त्रस्त जनता का बगावती सैलाब उससे आ जुड़ सकता है और वह स्थिति उनके लिए विनाशकारी होगी।

यही कारण है कि उदारीकरण-निजीकरण मुहिम को सरपट दौड़ाने के साथ ही फासिस्ट भाजपा सरकार ने एक ओर जनान्दोलनों और दूसरी ओर क्रान्तिकारी

राजनीतिक शक्तियों पर दमन चक्र भी तेज कर दिया है। आर्थिक नीतियों पर भाजपा सरकार से सहमत बुर्जुआ पार्टियाँ उसकी दमन-नीति से भी सहमत हैं, इसलिए चुप हैं। चुनावी वामपंथी बकरियाँ कभी-कभी रस्म-अदायगी के लिए विरोध में थोड़ा मिमिया लेती हैं। लेकिन इस पूरी स्थिति का सकारात्मक पहलू यह है कि जनवादी अधिकारों की हिफाजत के लिए सही, जुझारू जनवादी चेतना से लैस बुद्धिजीवियों का एक बड़ा हिस्सा आज नये सिरे से लोक-अधिकार के प्रश्न पर उद्देलित है और एक व्यापक जनार्थर वाले सशक्त लोक-अधिकार आन्दोलन खड़ा करने के प्रश्न पर सहमति का दायरा विस्तारित हो रहा है। यह जरूरी है। दमन-तंत्र का प्रतिकार मुख्यतः संगठित मेहनतकश जनता के बूते ही किया जा सकता है पर जनवादी अधिकार आंदोलन भी उसका एक अहम मोर्चा है—इस बात को भुलाना बहुत नुकसानदेह होगा।

### अपराधी यह सत्ता है और असली व सबसे बड़ा आतंकवाद है—सरकारी आतंकवाद!

अभी एक वर्ष पहले ही गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने हैदराबाद में भाषण देते हुए देश को (यानी धनपतियों को) चेताया था कि "नक्सलवाद" के खतरे को कम करके कर्तई नहीं आंका जाना चाहिए और इसका समूल नाश किये बिना देश हित की (यानी पूंजीपतियों के हित की) बात सोची भी नहीं जा सकती। आडवाणी ने "नक्सलवादियों" को अपराधी बताते हुए "नक्सलवाद"-विरोधी फोर्स को और व्यापक तथा सशक्त बनाने तथा "नक्सल-वादियों" से "निपटने" के लिए उन्हें खुला हाथ देने पर विशेष जोर दिया था।

लेकिन "नक्सलवादियों" को अपराधी घोषित करते हुए आडवाणी यह भूल गये कि कभी जे.पी., चन्द्रशेखर, आज के उपराष्ट्रपति कृष्णाकान्त आदि बुर्जुआ नेता भी उन्हें अपने मतभेदों के बावजूद "सुनिश्चित सिद्धान्तों और प्रतिबद्धता वाले लोग" बता चुके हैं तथा भाजपा-गठबंधन के संयोजक और मंत्री जार्ज फर्नाण्डिज भी कभी उन्हें "देशभक्त" बता चुके हैं। पिछले तीस वर्षों से बुर्जुआ मीडिया के

लगातार प्रचार और उसके ही द्वारा गढ़े गये "नक्सलवाद" शब्द को "खूंखार" छाप-छवि देने के बावजूद व्यापक आम जनता, क्रान्तिकारी वामपंथियों को उनके कार्यक्षेत्रों में अपने सही-सच्चे नुमाइन्दे और साथी के रूप में देखती है—यह एक सर्वस्वीकृत सच्चाई है।

दूसरी बात यह कि यदि नक्सलवादी खूंखार आतंकवादी होते भी, तो भी पुलिस को यह अधिकार नहीं कि वह सड़क पर ही उन्हें मनमानी "सजा" सुना दे। पूंजीवादी जनवाद का न्याय विधान और सविधान भी इसकी इजाजत नहीं देते। पर सच्चाई यह है कि ये उसूल तो महज दिखाने के दांत हैं। और अब तो ये दिखाने के दांत भी झड़ चुके हैं। फर्जी मुठभेड़ों और पुलिस अत्याचार की सच्चाई व्यवस्था के पोषक भी अनेकों बार स्वीकार कर चुके हैं।

सच तो यह है कि पूरे देश में पूर्वोत्तर भारत से लेकर कश्मीर तक, आन्ध्र से लेकर बिहार तक सबसे बड़ा आतंकवाद है—सरकारी आतंकवाद। भारतीय पुलिस और अर्द्धसैनिक बल इस आतंकवाद के प्रमुख उपकरण हैं और यह दुनिया की सबसे जालिमानी पुलिस फोर्स है जिसे भारतीय न्यायपालिका के एक न्यायाधीश ही "गुण्डों का सर्वाधिक संगठित गिरोह" बता चुके हैं। सरकारी आतंकवादी मशीनरी यदि देश के विभिन्न हिस्सों में गरीबों-मेहनतकशों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए संगठित कर रहे वामपंथी क्रान्तिकारियों को अपना शिकार बना रही है तो यही इस बात का सबूत है कि सत्ताधारी खतरा कहाँ से महसूस करते हैं और डरते किनसे हैं। शोषक वर्ग जिनसे डरता है, वही जनता के सच्चे दोस्त हो सकते हैं—यह जाहिर सी बात है। आडवाणी जी ने जो कहा था, वह सच ही कहा था।

मगर मुश्किल तो यह है कि आडवाणी जैसे लोग और वे जिन शासक वर्गों की चाकरी बजाते हैं, वे देश-दुनिया के इतिहास और वर्तमान से यह सीख कभी नहीं ले पाते कि दमन का बर्बरतम तंत्र भी मुक्ति की आकांक्षाओं और मुक्तिकामी शक्तियों का गला कभी भी नहीं घोंट पाया है। जहाँ दमन है वहीं प्रतिरोध है। दमन यदि बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। यह इतिहास का अकाट्य सत्य है। ●

## इवान वसील्येविच बाबुशिकन

(पेज 11 से आगे)

मिलकर सोच-विचार किया था। लेकिन इवान वसील्येविच पार्टी की दूसरी कांग्रेस में भाग नहीं ले पाये... जेलों और निर्वासन ने उन्हें देर तक कुछ करने योग्य न छोड़ा। क्रान्ति की उठती लहर नये कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नये नेताओं को सामने ला रही थी, और बाबुशिकन इस बीच पार्टी के जीवन से कटे सुदूर उत्तर में, वेखोयांस्क में, रह रहे थे। पर उन्होंने समय व्यर्थ नहीं गंवाया, अध्ययन करते रहे, संघर्ष के लिए अपने को तैयार करते रहे, निर्वासन में अपने साथ मजदूरों के बीच सक्रिय रहे, उन्हें सचेतन सामाजिक-जनवादी और बोलशेविक बनाने के प्रयासों में जुटे रहे। 1905 में राज-क्षमा का आदेश आया और बाबुशिकन रूस को लौट चले। लेकिन उन दिनों साइबेरिया में भी जोरों से संघर्ष चल रहा था और वहाँ भी बाबुशिकन जैसे लोगों की जरूरत थी। वे इर्कुत्स्क समिति के सदस्य बन गये और तन-मन से काम में जुट गये। उन्हें सभाओं में भाषण देने पड़ते थे, सामाजिक-जनवादी आंदोलन चलाना और विद्रोह का संगठन करना पड़ता था। जब बाबुशिकन अपने पांच अन्य साथियों के साथ—खेदवश हम उनके नाम नहीं जानते—एक अलग रेल डिब्बे में हथियारों की बड़ी खेप चिता\* नगर को ले जा रहे थे, तो साइबेरिया में विद्रोह को कुचलने के लिए भेजे गये रेन्नेनकाम्फ\*\* के अभियान दल ने

रेलगाड़ी रोक ली और छहों के छहों को बिना किसी सुनवाई के वहाँ पर जल्दबाजी में खोदी गयी एक साड़ी कन्न के किनारे खड़ा करके गोलियों से मार डाला। वे वीरों की मौत मरे। प्रत्यक्षदर्शी सैनिकों ने और इस रेलगाड़ी पर जो रेल कर्मचारी थे, उन्होंने उनकी मृत्यु के बारे में बताया। बाबुशिकन जारशाही के लठैत की पाशाविक बर्बरता के शिकार हुए। लेकिन मरते समय वह यह जानते थे कि जिस ध्येय को उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया है, वह नहीं मरेगा, कि लाखों-करोड़ों लोग यह कार्य करेंगे, कि इस ध्येय के लिए दूसरे साथी मजदूर प्राण देंगे, कि वे तब तक लड़ते रहेंगे, जब तक कि विजय नहीं पा लेंगे।...

\* \* \*

कुछ लोग ये किस्से गढ़ और फैला रहे हैं कि रूसी सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी "बुद्धिजीवियों की" पार्टी है, कि मजदूर उससे कटे हुए हैं, कि रूस में मजदूर सामाजिक-जनवाद के बिना सामाजिक-जनवादी हैं, कि ऐसा खास तौर पर क्रान्ति से पहले और बहुत हद तक क्रान्ति के दौरान था। उदारतावादी उस क्रान्तिकारी जन संघर्ष से, जिसका नेतृत्व 1905 में रूसी सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी ने किया, अपनी घृणा के कारण यह झूठ फैला रहे हैं और समाजवादियों में से कुछ अपनी नासमझी या लापरवाही के कारण इसे दोहरा रहे

हैं। इवान वसील्येविच बाबुशिकन का जीवन, इस इस्क्रा-समर्थक मजदूर का दस वर्ष का सामाजिक-जनवादी कार्य उदारपंथियों के इस झूठ का साफ खंडन करता है। बाबुशिकन उन अग्रणी मजदूरों में से एक थे, जिन्होंने क्रान्ति से दस साल पहले मजदूरों की सामाजिक-जनवादी पार्टी बनानी शुरू की थी। सर्वहारा-समूहों में ऐसे अग्रणी लोगों के अथक, वीरतापूर्ण और सतत कार्य के बिना रूसी सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी दस साल तो क्या, दस महीनों तक भी न बनी रह पाती। ऐसे अग्रणी लोगों की गतिविधियों की बदौलत ही, उनके समर्थन की बदौलत ही 1905 तक रूसी सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी ऐसी पार्टी बन गयी थी जो अक्टूबर और दिसम्बर के महान दिनों में सर्वहारा के साथ अभिन्न रूप से एकाकार हो गयी, जिसने न केवल दूसरी दूमा में, बल्कि तीसरी यमदूत सभाई दूमा में भी अपने मजदूर प्रतिनिधियों के रूप में यह संबंध बनाये रखा।

उदारतावादी (कैडेट) पहली दूमा के अध्यक्ष स. अ. मूरोम्सेव को, जिनका अभी कुछ समय पहले निधन हुआ है, जन-नायक बनाना चाहते हैं। हमें, सामाजिक-जनवादियों को, "जारशाही सरकार के प्रति अपनी घृणा प्रकट करने का मौका नहीं चूकना चाहिए, उस सरकार के प्रति, जो मूरोम्सेव जैसे नरमपंथी और नपुंसक अधिकारियों पर भी अत्याचार करती थी। मूरोम्सेव सिर्फ

नरमपंथी अधिकारी थे। जनवादी तो उन्हें किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता। वह जन साधारण के क्रान्तिकारी संघर्ष से डरते थे। वह ऐसे संघर्ष से रूस के लिए मुक्ति पाने की आशा नहीं करते थे, बल्कि स्वेच्छाचारी जारशाही की सद्भावना से, रूसी जनता के इस निकटतम और निर्मम शत्रु के साथ समझौते से। ऐसे लोगों को रूसी क्रान्ति का जन-नायक कहना हास्यास्पद ही है।

लेकिन ऐसे जन-नायक हैं। ये बाबुशिकन जैसे लोग हैं। वे लोग, जिन्होंने क्रान्ति से पहले साल-दो साल नहीं, बल्कि पूरे दस साल मजदूर वर्ग की मुक्ति के लिए संघर्ष को अर्पित किये। ये वे लोग हैं, जिन्होंने इक्के-दुक्कों की आतंकवादी कारवाइयों में अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं गंवायी, बल्कि दृढ़तापूर्वक, अडिगता से सर्वहारा जन-समूहों में काम करते रहे, उनकी वर्ग-चेतना, उनका संगठन, उनकी क्रान्तिकारी गतिविधियाँ विकसित करने में मदद करते रहे। ये वे लोग हैं, जिन्होंने संकट की घड़ी आने पर, क्रान्ति के शुरू होने पर, कोटि-कोटि लोगों के गतिशील होने पर स्वेच्छाचारी जारशाही के विरुद्ध सशस्त्र जन-संघर्ष की अगुवाई की। स्वेच्छाचारी जारशाही से जो कुछ जीता गया वह केवल जनसमूहों के संघर्ष से ही जीता गया, उस संघर्ष से, जिसका नेतृत्व बाबुशिकन जैसे लोगों ने किया।

ऐसे लोगों के बिना रूसी जनता सदा दासों और तलवा चाटनेवालों की

जनता रहती। ऐसे लोगों के साथ रूसी जनता हर तरह के शोषण से पूर्ण मुक्ति पा लेगी।

1905 के दिसम्बर विद्रोह के पांच वर्ष पूरे हो गये हैं। आइये, हम शत्रु के साथ संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हुए अग्रणी मजदूरों की स्मृति में शीश नवाकर यह वर्षगांठ मनायें। मजदूर साथियों से हमारा अनुरोध है कि वे उन दिनों के संघर्ष के बारे में संस्मरण जमा करके हमें भेजें, बाबुशिकन के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी भेजें और 1905 के विद्रोह में शहीद हुए दूसरे सामाजिक-जनवादी मजदूरों के बारे में भी। हम ऐसे मजदूरों की जीवितियों की पुस्तिका छापने का इरादा रखते हैं। ऐसी पुस्तिका उन सब लोगों को करारा जवाब होगी, जो रूसी सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी में पूरा विश्वास नहीं रखते और जो उसकी भूमिका को घटाकर दिखाना चाहते हैं। ऐसी पुस्तिका युवा मजदूरों के लिए श्रेष्ठ पठन-सामग्री होगी। वे इससे यह सीखेंगे कि हर वर्ग-चेतन मजदूर को कैसे जीना और काम करना चाहिए।

(राबोचाया गजेता

अंक 2, 18 (31) दिसंबर 1910  
खण्ड 20 पृ. 79-83)

\* बाद में ज्ञात हुआ कि वे हथियार चिता नगर से ले जा रहे थे।—सं.

\*\* बाद में पता चला कि विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा गया दल अ. न. मेल्लेर-जाकोमेल्लेस्की का था।—सं.

**मजदूर नायक :  
क्रान्तिकारी योद्धा**

# बोल्शेविक मजदूर संगठनकर्ता इवान वसील्येविच बाबुशिकन

रूस में जिन थोड़े से उन्नत चेतना वाले मजदूरों ने कम्युनिज्म के विचारों को सबसे पहले स्वीकार किया और फिर आगे बढ़कर पेशेवर क्रान्तिकारी संगठनकर्ता की भूमिका अपनाई तथा पूरा जीवन पार्टी खड़ी करने और क्रान्ति को आगे बढ़ाने के काम में लगाया उनमें पहला नाम इवान वसील्येविच बाबुशिकन (1873-1906) का आता है। 1894 में बाबुशिकन जब कम्युनिस्ट बना तो उसकी उम्र महज 21 वर्ष थी।

लेनिन 1893 में पीतर्सबुर्ग आये। इसके पूर्व 1887 में कजान विश्वविद्यालय में पढ़ते समय लेनिन ने क्रान्तिकारी छात्र आन्दोलनों में हिस्सा लेते हुए 17 वर्ष की आयु में फेदोसेयेव नामक व्यक्ति द्वारा चलाये जाने वाले मार्क्सवादी मण्डल में हिस्सा लेना शुरू किया। क्रान्तिकारी छात्र आन्दोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तारी और कजान से समाया पहुँचने के बाद लेनिन ने उस शहर में पहला मार्क्सवादी मण्डल कायम किया। 1893 के अंत में वे पीतर्सबुर्ग पहुँचे। वहाँ के मार्क्सवादी मण्डलों के सदस्य उनके सैद्धान्तिक-व्यावहारिक ज्ञान और सांगठनिक क्षमता से बहुत प्रभावित हुए और लेनिन उनके नेता बन गये। यहीं 1894 में उनकी मुलाकात क्रान्तिकारी क्रुप्काया से हुई जो बाद में उनकी जीवन-साथिनी भी बनीं।

इवान बाबुशिकन पीतर्सबुर्ग के सेम्यान्कोव कारखाने में काम करने वाला युवा मजदूर था, जो आम मजदूरों से अलग, अपनी जिन्दगी के हालात और पूँजीपतियों के शोषण-उत्पीड़न के बारे में हमेशा सोचता रहता था। उसे मुक्ति के रास्ते की बेचैनी से तलाश थी। उन दिनों मजदूरों और छात्रों में जाशहाही विरोधो जो नई सरगमियाँ थीं, उनका उत्सुकतापूर्वक अध्ययन करते हुए वह मार्क्सवादियों के सम्पर्क में आया। बाबुशिकन का लेनिन से सम्पर्क हुआ और उनसे मार्क्सवाद की शिक्षा लेते हुए वह उन्हें बेहद प्यार करने लगा। लेनिन ने एक योग्य संगठनकर्ता के रूप में बाबुशिकन की सम्भावनाओं को पहचाना और उन्हें विकसित किया।

बाबुशिकन की धीरज भरी, अनथक कोशिशों से ही सेम्यान्कोव कारखाने में मजदूरों का मार्क्सवादी-मण्डल संगठित हुआ।

मण्डल के अध्ययन चक्रों में मार्क्सवाद पर लेनिन के व्याख्यानों और मजदूरों से उनके सवाल-जवाबों को याद करते हुए बाबुशिकन ने लिखा है : "व्याख्याता बिना कोई पुस्तक या नोट्स सामने रखे, हमलोगों के सामने इस (मार्क्सवादी) विज्ञान की व्याख्या करता था और अक्सर हमें वह अपने कंधे पर आपत्तियाँ उठाने के लिए, या फिर बहस शुरू करने के लिए उकसाता था। फिर वह बहस करने वालों को आपस में वाद-विवाद करने देता था। इससे पढ़ाई जीवन्त और दिलचस्प हो जाती थी... हम सभी इससे बहुत खुश होते थे और अपने शिक्षक की क्षमता की तारीफ करते थे।"

पीतर्सबुर्ग के सभी उन्नत चेतना वाले मजदूर लेनिन को प्यार करने लगे और उन्हें अपना नेता

मानने लगे। बाबुशिकन के तेजी से हो रहे विकास और सांगठनिक-राजनीतिक नेतृत्वकारी गुणों से लेनिन बहुत प्रभावित हुए।

1894 के अंत में बाबुशिकन के ही सहयोग से लेनिन ने पहला आन्दोलनकारी पर्चा लिखा और सेम्यान्कोव कारखाने के हड़ताली मजदूरों का नाम एक अपील निकाली।

1895 में लेनिन ने पीतर्सबुर्ग के सभी मार्क्सवादी मजदूर मण्डलों को (जिनकी संख्या उस समय 20 के आसपास थी) जोड़कर मजदूर मुक्ति-संघर्ष की पीतर्सबुर्ग लीग नामक संगठन बनाया, जो तत्कालीन मजदूर आन्दोलन के साथ समाजवाद की विचारधारा और राजनीति को जोड़ने वाला पहला संगठन था। मुक्ति संघर्ष लीग (संक्षिप्त नाम) के गठन में ही बाबुशिकन की प्रमुख सहयोगी भूमिका थी। 1895-96 में पीतर्सबुर्ग मजदूर हड़तालों का केन्द्र बन गया था। इन हड़तालों के समर्थन में मुक्ति संघर्ष लीग परचे निकालकर मजदूरों को संघर्ष का रास्ता बताता था, उन्हें अपनी मांगें पेश करने और लड़ने का तरीका बताता था, कारखाना-मालिकों की लूट और अमानवीय उत्पीड़न का तथा उनकी पीठ पर खड़ी जाशहाही का भण्डाफोड़ करता था। इन सभी परचों की तैयारी में बाबुशिकन लेनिन का अनन्य सहयोगी था। इन्हें मजदूरों तक पहुँचाने और आन्दोलनों में भागीदारी में भी उसकी भूमिका अग्रणी थी। 1895 के शरद में लेनिन ने थार्नटन मिल के स्त्री-पुरुष हड़ताली मजदूरों के लिए जो पर्चा लिखा, वह उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने में विशेष मददगार

सिद्ध हुआ। मजदूर अपनी लड़ाई जीत गये। इसके बाद थोड़े से समय में ही मुक्ति-संघर्ष लीग ने विभिन्न कारखानों के मजदूरों के लिए दर्जनों पर्चे और अपीलें निकालीं। मजदूरों में संगठन का व्यापक आधार तैयार हुआ। बड़े पैमाने पर मजदूर मार्क्सवाद को स्वीकार कर पार्टी में भरती होने लगे।

दिसम्बर, 1895 में जाशहाही ने लेनिन को गिरफ्तार कर लिया, पर जेल से वे गुप्त सम्पर्क बनाकर मुक्ति-संघर्ष लीग की मदद करते रहे तथा लगातार पुस्तिकाएँ और पर्चे लिखते रहे। उधर बाहर बाबुशिकन के साथ अब मजदूर संगठनकर्ताओं की एक पूरी टीम खड़ी हो गई थी जो खुली और गुप्त कार्यवाहियों में दिन-रात लगी हुई थी। ऐसा ही एक मजदूर संगठनकर्ता वासिली आन्ड्रियेविच शेल्गुनोव भी था, जो बाद में अन्धा हो गया था।

1896 की गर्मी में मुक्ति संघर्ष लीग के नेतृत्व में पीतर्सबुर्ग के तीस हजार सूती मजदूरों की हड़ताल काम के घण्टों को कम करने के प्रश्न पर हुई। इसी हड़ताल के दबाव में जाशहाही को जून, 1897 में कानून बनाकर काम के घण्टों पर साढ़े ग्यारह घण्टे की सीमा लगानी पड़ी।

पीतर्सबुर्ग की मुक्ति-संघर्ष लीग की स्थापना से 1898 में रूसी सोशल-डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना तक की यात्रा में सबसे अधिक योगदान करने वालों में बाबुशिकन एक था।

1900 में पहले अखिल रूसी गैरकानूनी अखबार 'इस्क्रा' का प्रकाशन शुरू हुआ। इसके पीछे लेनिन की एक ऐसे अखबार की सोच काम

कर रही थी जो मजदूर वर्ग के शिक्षक, प्रचारक, आन्दोलनकर्ता और संगठनकर्ता की भूमिका निभाते हुए पार्टी-निर्माण और पार्टी-गठन के काम में कुंजीभूत भूमिका निभाये।

म्यूनिख, लन्दन और जेनेवा से प्रकाशित होकर 'इस्क्रा' गुप्त रूप से रूस पहुँचता रहा। पीतर्सबुर्ग, मास्को आदि शहरों में मजदूरों तक अखबार पहुँचाने और पार्टी की लेनिनवादी 'इस्क्रा' नीति का समर्थन करने वाली कमेटीयों-गुप्तों का जाल बिछा देने में बाबुशिकन, गुसेव, कालीनिन, बौमान आदि पेशेवर क्रान्तिकारियों की अग्रणी भूमिका थी।

लेनिन के शब्दों में बाबुशिकन "इस्क्रा के सबसे कर्मठ संवाददाता और जोशीले समर्थक थे।" विशाल रूस के विभिन्न शहरों से रिपोर्ट इकट्ठा करके सम्पादकों को भिजवाना, अखबार का वितरण सुनिश्चित करना और इसके वितरकों-एजेण्टों के तंत्र के जरिए पार्टी का ताना-बाना खड़ा करना— इन सभी कामों में बाबुशिकन की अग्रणी भूमिका थी। एक बार दक्षिणी रूस के येकातेरीनोस्लाव शहर में इन्हीं कामों के दौरान उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, पर खिड़की की छड़ें काटकर वह जेल से भाग निकला और कोई भी विदेशी भाषा न जानने के बावजूद सीधे लन्दन, 'इस्क्रा' के आफिस पहुँच गया।

1903 में पार्टी की दूसरी कांग्रेस के समय बाबुशिकन सुदूर उत्तर में निर्वासित जीवन बिता रहा था। पर इस दौरान भी वह लगातार अध्ययन कर रहा था और अन्य निर्वासित मजदूरों में बोल्शेविज्म का प्रचार कर रहा था।

1905 में आम माफी से निर्वासन-दण्ड की समाप्ति हुई, पर इस समय तक साइबेरिया में भी क्रान्ति की आग फैलने लगी थी। बाबुशिकन पार्टी की इक्कुल्स्क कमेटी के सदस्य के रूप में वहाँ काम करने लगा।

1905-7 की क्रान्ति में उसने जमकर भागीदारी की। चित्तानगर के हथियारबन्द विद्रोह का वह भी एक नेता था। उसी दौरान एक रेल डिब्बे में भरकर पांच साथियों के साथ चित्तानगर से हथियारों को एक बड़ी खेप ले जाते समय जाशहाही के ताजीरी दस्ते ने उसे पकड़ लिया और गोली मार दी।

बाबुशिकन का जीवन इस बात का प्रमाण था कि उन्नत चेतना के मजदूर राजनीति और विचारधारा से लैस होकर नेतृत्वकारी क्षमताओं वाले संगठनकर्ता बन सकते हैं। ऐसे सर्वहारा चरित्र तैयार करके कोई भी पार्टी अपनी सफलता की एक बुनियादी गारण्टी हासिल करती है।

बाबुशिकन का जीवन भारत के क्रान्तिकारी संगठनकर्ताओं और वर्ग-सचेत मजदूरों के लिए भी अक्षय प्रेरणा का स्रोत है।

बाबुशिकन की मृत्यु की सूचना पार्टी के साथियों को बरसों बाद मिली। यह सूचना मिलने के बाद उनकी स्मृति में पार्टी-पत्र 'राबोचाया गजेता' में लेनिन ने जो प्रसिद्ध लेख (निधन-सूचना) लिखा था, उसे हम यहाँ अलग से प्रकाशित कर रहे हैं।

● आलोक रंजन

*वर्ग-सचेत मजदूरों के बहादुर बेटे जब एक बार अपनी मुक्ति के दर्शन को पकड़ लेते हैं; जब एक बार वे सर्वहारा क्रान्ति के मार्गदर्शक सिद्धान्त को पकड़ लेते हैं; तो फिर उनकी अडिग निष्ठा, शौर्य, व्यावहारिक जीवन की जमीनी समझ और सर्जनात्मकता उन्हें हमारे युग के नये नायकों के रूप में ढाल देती है। ऐसे लोग उस करोड़ों-करोड़ आम मेहनतकश जनसमुदाय के उन सभी वीरोचित उदात्त गुणों को अपने व्यक्तित्व के जरिए प्रकट करते हैं, जो इतिहास के वास्तविक निर्माता और नायक होते हैं। इसलिए ऐसे लोग क्रान्तिकारी जनता के सजीव प्रतिनिधि चरित्र और इतिहास के नायक बन जाते हैं और उनकी जीवन-गाथा एक महाकाव्यात्मक आख्यान बन जाती है।*

*'बिगुल' के इस अनियमित स्तम्भ में हम दुनिया की सर्वहारा क्रान्तियों की ऐसी ही कुछ हस्तियों के बारे में उन्हीं के समकालीन किसी महान क्रान्तिकारी नेता या लेखक की स्मरणार्थक टिप्पणी या रेखाचित्र समय-समय पर अपनी टिप्पणी के साथ प्रकाशित करते रहेंगे। ये ऐसे लोगों की गाथाएँ होंगी जिन्होंने शोषण-उत्पीड़न की निर्मम-अंधी दुनिया के*

*अंधेरे से ऊपर उठकर जिन्दगी भर उस अंधेरे से लोहा लिया और क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधि चरित्र बन गये। वे क्रान्तिकथाओं के ऐसे नायक थे, जो इतिहास-प्रसिद्ध तो नहीं थे, पर जिनकी जिन्दगी से यह शिक्षा मिलती है कि श्रम करने वाले लोग जब ज्ञान तक पहुँचते हैं और अपनी मुक्ति का मार्ग ढूँढ़ लेते हैं तो फिर किस तरह अडिग-अविचल रहकर वे क्रान्ति में हिस्सा लेते हैं। उनके भीतर दुलमुलपन, कायरता, कैरियरवाद, उदारतावाद और अल्पज्ञान पर इतराने जैसे दुर्गुण नहीं होते जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों से आने वाले कम्युनिस्टों में क्रान्तिकारी जीवन के लम्बे समय तक बने रहते हैं और पार्टी में तमाम भटकावों को बल देने में अहम भूमिका निभाते हैं।*

*हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारतीय मजदूरों के बीच से भी ऐसे ही वर्ग-सचेत बहादुर सफूत आगे आयेंगे। सर्वहारा वर्ग की पार्टी के क्रान्तिकारी चरित्र के बने रहने की एक बुनियादी शर्त है कि मेहनतकशों के बीच के ऐसे सम्भावनायुक्त तत्वों की राजनीतिक शिक्षा-दीक्षा करके उन्हें निखारा-मांजा जाये और क्रान्तिकारी कतारों में भरती किया जाये। —सम्पादक*

## इवान वसील्येविच बाबुशिकन

(निधन-सूचना)

● लेनिन

हम अभिशप्त काल में रह रहे हैं, जब ऐसी बातें संभव हैं: पार्टी का विलक्षण कार्यकर्ता, जिस पर सारी पार्टी को गर्व है, वह साथी, जिसने अपना सारा जीवन मजदूरों के ध्येय को अर्पित किया, लापता हो जाता है। और उसके निकटतम संबंधी, जैसे कि पत्नी और माँ, घनिष्ठतम साथी बरसों तक यह नहीं जानते कि उसका क्या हुआ; कहीं कठोर श्रम-कारावास में वह हडिडियाँ गला रहा है या किसी जेल में उसने दम तोड़ दिया है या शत्रु के साथ टक्कर में वीरगति को प्राप्त हुआ है। यही इवान वसील्येविच बाबुशिकन के साथ हुआ, जिन्हें रंनेनकाम्फ ने गोली मार डाली। अभी हाल ही में

हमें उनकी मृत्यु का पता चला है। इवान वसील्येविच का नाम हमारे मन के निकट है, हमारे मन को प्रिय है, केवल हम सामाजिक-जनवादियों के मन को ही नहीं। जितने भी लोगों ने उन्हें जाना, सभी के मन में उनका तेज, उनकी गहन और प्रबल क्रान्तिकारी भावना, अपने ध्येय में उनकी निष्ठा और शब्दांडबेर से दूरी देखकर उनके प्रति प्रेम और आदर जागा। पीतर्सबुर्ग के इस मजदूर ने 1895 में दूसरे वर्ग-चेतन साथियों के साथ मिलकर नेवस्कया जस्तावा के इलाके में सेम्यान्कोव और अलेक्सान्द्रोव कारखानों के व कांच फैक्टरी के मजदूरों के बीच जोरदार काम

किया, मंडल गठित किये, पुस्तकालय खोले और सारा समय स्वयं भी पूरी लान से शिक्षा पाता रहा। उनके सारे विचार एक ही बात पर केंद्रित थे कि काम कैसे अधिक फैलाया जाये। 1894 के पतझड़ में सेंट पीतर्सबुर्ग में निकाले गये पहले प्रचार परचे को, जो सेम्यान्कोव कारखाने के मजदूरों को संबोधित था, तैयार करने में इवान वसील्येविच ने सक्रिय भाग लिया और खुद अपने हाथों से उसे बांटने का काम किया। जब सेंट-पीतर्सबुर्ग में 'मजदूर वर्ग की मुक्ति के लिए संघर्ष करने वाली लीग' गठित हुई, तो इवान वसील्येविच उसके एक सबसे सक्रिय सदस्य बने और अपनी गिरफ्तारी तक उसमें काम करते रहे। पीतर्सबुर्ग में उनके साथ करते रहे पुराने साथियों—'इस्क्रा' के संस्थापकों—ने उनके साथ इस विचार पर सलाह-मशविरा किया था कि विदेश में ऐसा राजनीतिक समाचारपत्र स्थापित किया जाये, जो सामाजिक-जनवादी पार्टी की एकता और सुदृढ़ता

बढ़ाने में सहायक हो, और इस विचार पर उनका जोरदार समर्थन पाया था। जब तक इवान वसील्येविच आजाद रहे, 'इस्क्रा' के पहले बीस अंक देखिये, शूया, इवानोवो-वोर्जेनेसेन्स्क, ओरेखोवो-जूयेवो तथा केन्द्रीय रूस के दूसरे स्थानों से ये सारी रिपोर्टें—इनमें प्रायः सभी इवान वसील्येविच के हाथों से गुजरीं। 'इस्क्रा' और मजदूरों के बीच घनिष्ठतम संबंध बनाने के लिए वे प्रयत्नशील रहे। वे 'इस्क्रा' के सबसे कर्मठ संवाददाता और जोशीले समर्थक थे। केन्द्रीय रूस से बाबुशिकन दक्षिण में, येकातेरीनोस्लाव नगर को चले गये (वहाँ उन्हें गिरफ्तार करके अलेक्सान्द्रोव्स्क जेल में रखा गया। वहाँ से अपने एक साथी के साथ खिड़की के सींखचे काटकर वे भाग निकले। एक भी विदेशी भाषा उन्हें नहीं आती थी, तो भी लन्दन पहुँच गये, जहाँ तब 'इस्क्रा' का संपादकीय कार्यालय था। बहुत सी बातें हुई थीं तब, बहुत से सवालों पर (पेज 10 पर जारी)

# पर्यावरण की चिन्ता या 15 लाख से भी अधिक मजदूरों की रोजी छीन लेने की साजिश?

(पेज 1 से आगे)

जरूरी है, पर यह बहुसंख्यक उत्पादक मेहनतकश आबादी को भूखों मारकर या उन्हें उजाड़कर ही हमेशा क्यों किया जाता है? प्रदूषण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार धनिक आबादी के विरुद्ध कोई कदम कभी क्यों नहीं उठाया जाता? प्रदूषण हटाने के नाम पर यदि कारखाना बन्द करना है तो उनमें कार्यरत श्रमिक आबादी को वैकल्पिक रोजगार देना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। और सबसे बुनियादी बात तो यह है कि पर्यावरण के विनाश के लिए मूलतः उस पूंजीवादी उत्पादन तंत्र की अराजकता जिम्मेदार होती है, जो मुनाफे के लिए श्रम-शक्ति और प्रकृति को अंधाधुंध निचोड़ता और तबाह करता है। सच यह है कि पर्यावरण के प्रश्न पर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी शहरी समाज आज उस प्रतिक्रियावादी नजरिये से बुरी तरह प्रभावित है, जिसका प्रचार पूंजीवादी मीडिया के भोंपू और टट्टू खूब करते रहते हैं।

यह एक अलग से चर्चा का विषय है, पर यहाँ दिल्ली के लघु उद्योगों की बन्दी के पीछे भी मूल प्रश्न पर्यावरण का है ही नहीं।

सच तो यह है कि पर्यावरण के प्रश्न को अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में शर्त के रूप में शामिल करने के अमेरिकी दबाव

का सिप्टल में विरोध करने का दावा करने वाली केन्द्र की सरकार और दिल्ली राज्य की कांग्रेसी सरकार देशी-विदेशी एकाधिकारी घरानों के दबाव में पर्यावरण-सुधार की आड़ लेकर, न्यायपालिका के फैसले की मदद से छोटे उद्योगों को व्यवस्थित ढंग से तबाह करके एकाधिकारी पूंजी को निवेश के लिए नये क्षेत्र मुहैया कराने का कुचक्र रच रही हैं। यह बड़ी पूंजी द्वारा छोटी पूंजी को तबाह करने के साम्राज्यवादी नियम का ही एक और उदाहरण है। जैसे छोटे कारखानेदार कोई सहानुभूति के पात्र इन अर्थों में नहीं हैं कि मजदूरों को 30-30 रुपये की दिहाड़ी पर दस-दस घण्टे दासों की तरह खटाने में वे बड़े मालिकों से कहीं आगे हैं। अब ये छोटे परभक्षी बड़े परभक्षियों द्वारा तरह-तरह से निगले जा रहे हैं और बड़े परभक्षी भी अब अतिलाभ निचोड़ने के लिए आतुर होकर श्रमिकों को ठेका और दिहाड़ी पर रखकर छोटे उद्योगपतियों की ही तरह, या उनसे भी बदतर व्यवहार कर रहे हैं।

प्रश्न के उपरोक्त पहलू से अधिक महत्वपूर्ण यह पहलू है कि 15 लाख से भी कुछ अधिक मजदूरों के धीरे-धीरे बेरोजगार हो जाने से नये-नये उद्योग लगाने वाले देशी-विदेशी घरानों को श्रमशक्ति अत्यन्त सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी और मजदूरों को वे

मनमानी शर्तों पर निचोड़ सकेंगे। अन्यथा ऐसा नहीं है कि एक लाख से भी अधिक कारखाने बन्द करने के बजाय इस देश की सरकार और न्यायपालिका छोटे कारखाना मालिकों से 'एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लाण्ट' ही नहीं लगवा सकती थी! दरअसल सरकार की मंशा ही यही है कि ये लघु उद्योग किसी भी तरह से बंद हों और इसीलिए उसे खुद भी जो 15 प्लाण्ट स्थापित करने थे, उस दिशा में उसने कुछ नहीं किया।

और फिलहाल सरकार जो तरह-तरह के आश्वासन देने वाले बयान दे रही है, उसका कारण यह है कि वह इस काम को धीरे-धीरे, किरतों में करना चाहती है। ऐसा इसलिए कि वह जानती है कि देश की राजधानी में 15 लाख से भी अधिक मजदूरों के परिवारों को एक साथ भूखों मरने के लिए सड़कों पर छोड़ देना राजधानी के शीशमहलों के सुख-चैन के लिए और इस हुकूमत की सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है।

यहाँ हमें एक बार फिर तीन वर्षों पुरानी उस घटना की याद को ताजा कर लेना होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने "हानिकारक और जहरीली" श्रेणी के 168 उद्योगों को बन्द करने या दिल्ली से बाहर ले जाने का आदेश दिया था, जिसपर 30 नवम्बर 1996 को अमल भी हो गया और 50,000 मजदूर बेकार हो गये। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कुछ मजदूरों को

छोड़कर अधिकांश को न काम मिला न ही मुआवजा। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट मजदूरों को काम या मुआवजे के अपने आदेश पर सरकार या पूंजीपतियों से अमल क्यों नहीं करा पाया?

168 कारखानों की बन्दी वाले मामले के पीछे की सच्चाई आज ही नहीं, उस समय भी मजदूर भली भाँति समझते थे कि पर्यावरण पर फैसला मालिकों के लिए मुंहमांगी मुराद था, क्योंकि वे खुद ही कारखानों को बन्द या स्थानान्तरित करना चाहते थे। जो काम मजदूरों के संगठित विरोध के भय से वे नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने ढाल का काम किया। उन 168 उद्योगों में से कुछ के मालिक कम घाटा वाले उद्योग चलाने के बजाय मंहगी शहरी जमीन का अन्य इस्तेमाल करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। कुछ इन कारखानों से पूंजी निकालकर ज्यादा मुनाफा वाले कारोबारों में निवेश करना चाहते थे और कुछ अन्य कारखाना अन्यत्र स्थानान्तरित करके पुराने मजदूरों के हटाकर बहुत कम मजदूरी पर दिहाड़ी और ठेका पर नये मजदूर रखकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। राज्य सरकार के सहयोग और न्यायपालिका की "पर्यावरण-चिन्ता" ने उनके मन की मुराद पूरी कर दी।

इस बार भी आड़ पर्यावरण को सुधारने की ही ली गयी है। फर्क सिर्फ

यह है कि बन्दी के शिकार होने वाले लघु उद्योगों के मालिक ऐसा नहीं चाहते हैं बल्कि देशी-विदेशी बड़ी पूंजी के मालिक ऐसा चाहते हैं। जहाँ तक मजदूरों का सवाल है तो उनके लिए पहले और अब की स्थिति में यह फर्क है कि 1996 में 50,000 मजदूर बेकार हुए थे और इस बार 15 लाख से भी अधिक मजदूर बेकार होने वाले हैं।

सच्चाई यह है कि पर्यावरण के सारे हल्ले-गुल्ले के पीछे सवाल पर्यावरण का है ही नहीं, बल्कि यह इजारेदार बड़ी पूंजी को विस्तार करने का मौका देने और उसे ज्यादा से ज्यादा सस्ती दरों पर श्रमशक्ति को निचोड़ने का अवसर देने के लिए रची गई एक साजिश है। भूमण्डलीकरण के बवण्डर में करोड़ों मजदूरों की बेकारी-तबाही का जो सिलसिला लगातार एक या दूसरे रूप में आगे बढ़ना है; यह उसी की एक कड़ी मात्र है।

पूंजीवाद का बढ़ता संकट उसे अपने एकमात्र विकल्प पर निर्भर आचरण के लिए बाध्य कर रहा है और यह स्थिति मजदूरों के सामने भी बस एक ही विकल्प छोड़ रही है—या तो वह भूखे-अधभूखे, बेघर-बेदर गुलामों की स्थिति में जीने के लिए तैयार रहें, या फिर नये सिरे से उठ खड़े हों, संगठित हो जायें और जुझारू संघर्षों की तैयारी में जुट जायें। ●

## तराई के उद्योगपतियों की बैठक में होण्डा मजदूरों पर सीधा हमला

(पेज 1 से आगे)

दिया गया। सबसे जहाँ एक तरफ प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों पर दमनात्मक कार्रवाइयाँ और बाहरी तत्वों से उत्पादन का प्रयास जारी है, वहीं होण्डा श्रमिक जीवन-मरण का संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच प्रबन्धकों के अडियल रुख और जिला प्रशासन व श्रम विभाग की अकर्मण्यता के कारण तीन दर्जन से ज्यादा द्विपक्षीय व त्रिपक्षीय वार्ताएं असफल रही हैं। उधर इलाके के कारखानेदारों ने अपनी वर्गीय पक्षधरता दिखाते हुए गीदड़भक्षियाँ देना शुरू कर दिया है।

चैम्बर अध्यक्ष की बयानबाजियाँ पहले से ही जारी होती रही हैं। अपने पहले के बयानों में होण्डा में तालाबन्दी के लिए श्रमिक यूनियन को ही जिम्मेदार ठहराते हुए चैम्बर अध्यक्ष राजीव घई ने कह डाला था कि यूनियन की नाजायज मांगों व अनावश्यक दबाव के चलते इस उद्योग को बन्द कर देना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस हड़ताल से क्षेत्र का औद्योगिक वातावरण दूषित हो रहा है। श्री घई ने धमकी भरे दो टूक शब्दों में कह डाला कि 'श्रमिकों द्वारा हठधर्मीपूर्वक की जा रही नाजायज मांगों को पूरा करने में अब कोई भी उद्योग सक्षम नहीं है।'

उधर 17 नवम्बर को जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक आदि की मौजूदगी में सम्पन्न चैम्बर की बैठक में चैम्बर अध्यक्ष ने होण्डा आन्दोलन को नाजायज करार देते हुए प्रशासन से मांग की कि कंपनी अधिकारियों को बाहर से श्रमिकों को लाकर कम्पनी चलाने की सुविधा प्रदान की जाए। इस पर सभी उद्योगपति एकमत थे। बैठक में मौजूद कारखानेदारों ने श्रमिकों के खिलाफ जमकर भड़का

निकाली। रामाविजन कारखाने के महाप्रबन्धक बी.सी.शर्मा, ने क्षेत्र के रामाविजन, आनन्द निशिकावा आदि कारखानों में आन्दोलन की जिम्मेदारी होण्डा श्रमिकों पर थोपते हुए यह तक कह डाला कि होण्डा प्रशासन ने सदैव श्रमिकों के दबाव में नाजायज समझौते करके अन्य कारखानों का नुकसान ही किया है। उन्होंने श्रमिकों से आगे किसी भी प्रकार का समझौता न करने की सलाह तक दे डाली।

**"चन्द स्वार्थी तत्व श्रमिकों को भड़काकर अशान्ति फैला रहे हैं; भोले-भाले श्रमिकों के रोजगार से खिलवाड़ कर रहे हैं।"**  
—चैम्बर अध्यक्ष

रामाविजन तराई क्षेत्र का वह कारखाना है जहाँ श्रम कानूनों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। जहाँ मजदूरों को 12-12 घण्टे की शिफ्टों में हाड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, जहाँ यूनियन बनने के हर प्रयास को सख्ती से कुचला जा रहा है। जिसके मालिकान ने आजतक अपने किसी भी कारखाने में यूनियन नहीं बनने दी है। यह वही कारखाना है जहाँ मजदूरों के न्यायपूर्ण जुझारू लम्बे आन्दोलनों को बेरहमी से कुचलने के लिए कुख्यात प्रबन्धकों की नीतियों की साक्षी पूरे क्षेत्र की जनता है।

यही नहीं, यहाँ चुनाव की सार्वजनिक छुट्टी के एवज में साप्ताहिक अवकाश के दिन काम करवाया गया। यह जगजाहिर बात है कि यहाँ के प्रबन्धकों के मजदूर विरोधी बयान समय बा समय आते ही रहते हैं। फिर होण्डा के मजदूर तो रामाविजन के मजदूरों के

हर न्यायपूर्ण संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाने रहे हैं।

यहीं हम इस कारखाने के एक और 'सिस्टर कन्सर्न' 'शिवा पेपर मिल' (रामपुर) में घटित एक हृदयविदारक घटना का उल्लेख करना उचित समझते हैं। उक्त पेपर मिल में विगत एक अक्टूबर को एक मजदूर उदय राज एक रोलर की चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गयी। प्रबन्धकों ने आनन-फानन में उसका दाहसंस्कार करने के बाद उसका मिलकर्मि होने का प्रमाण तक नष्ट कर दिया। यही नहीं, कारखाना परिसर की ही मजदूर कॉलोनी में रह रहे उसकी पत्नी और तीन मासूम बच्चे अपने पति/पिता के अन्तिम दर्शन भी नहीं कर सके। न कोई थाना-पुलिस, न ही पोस्टमार्टम का झमेला। उल्टे बिना किसी मुआवजे के बेसहारा पत्नी और बच्चों से जबरन क्वार्टर खाली कराके सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया।

**क्या चैम्बर बताएगा कि इस जापानी कारखाने में 26 करोड़ का वार्षिक मुनाफा किसके दम पर होता है? क्या चैम्बर रामपुर के पेपरमिल में रोलर में पिसकर मरे मजदूर के पक्ष में बयान देगा, उसे मुआवजा दिलाएगा?**

अगले दिन, शोकाकुल और उद्वेलित मिल मजदूरों ने जब विरोध स्वरूप काम करने से इन्कार करते हुए न्याय की गुहार की तो प्रबन्धकों ने सभी मजदूरों को काम से निकाल बाहर करने की धमकी दे डाली। नौकरी जाने के डर से धीरे-धीरे, भारी मन से मजदूर

काम पर वापस लौट गये। आज भी उनके भीतर भारी आक्रोश व्याप्त है लेकिन यूनियन के अभाव में वे किंकर्तव्यमूढ़ हैं। ज्ञातव्य हो कि यहाँ 22 वर्षों से यूनियन बनाने के सभी प्रयासों को रौंदा जा चुका है। अभी कुछ माह पूर्व ही ऐसे ही एक प्रयास को पुनः विफल करते हुए प्रबन्धकों ने सात मजदूरों की छुट्टी कर दी थी। अब इस घटना का विरोध करने वाले अगुआ मजदूरों को कारखाने से निकाला जा रहा है।

क्या चैम्बर इस मजदूर की मौत और हत्यारे प्रबन्धकों के खिलाफ बयान दे सकेगा, बेसहारा पत्नी और मासूम बच्चों को न्याय दिला सकेगा? क्या, वेतन भी न पाने वाले एच.एम.टी. के श्रमिकों के पक्ष में चैम्बर बैठकें करेगा? होण्डा में उत्पादकता दोगुनी करने की बात करने वाले चैम्बर अध्यक्ष क्या यह बता सकेंगे कि इस जापानी कारखाने को 26 करोड़ का वार्षिक मुनाफा किसके दम पर होता है? जिस कारखाने के प्रबन्धक 80-85 हजार रुपये प्रतिमाह तक वेतन और हजारों रुपये की अन्य सहूलियतें पाते हों वहाँ के मजदूरों को मिलने वाले महज 4-5

हजार रुपये मासिक वेतन से तराई के पूंजीपतियों की छाती क्यों फटने लगी? उन्हें यह तो नहीं दिखाई देगा कि इस क्षेत्र के तेल मिलों-चावल मिलों-प्लाईवुड कारखानों और अन्य तमाम कारखानों में 12-12 घण्टे हाड़तोड़ मेहनत के एवज में मजदूरों को महज मामूली दिहाड़ी पर ही सन्तोष करना पड़ रहा है।

तराई के इन पूंजीपतियों को इसी बात का तो खतरा है कि कहीं होण्डा मजदूरों की एकता से उनकी बेलगाम अन्धी लूट पर अंकुश न लग जाय। जब भी मजदूर अपने हक-हकूक के लिए एकजुट होने लगते हैं, इन पूंजीपतियों की घड़कनें रुकने लगती हैं, बौखलाहट बढ़ती जाती है, उनका वहशीपन बढ़ता जाता है। वे मजदूरों पर चौतरफा हमला बोलने लगते हैं, उनके "चैम्बर" सक्रिय हो जाते हैं।

ऐसे हालात में मजदूरों को भी अपनी संग्रामी एकजुटता बढ़ा देनी चाहिए, अपने जुझारू संघर्षों से इन लुटेरों के लूटतंत्र का क्रिया कर्म करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ●

## झूठ ऐसा, जिसका न सिर न पांव

ऊधमसिंहनगर के उद्योगबन्धुओं की बैठक में तालाबन्दी के शिकार 'होण्डा पावर प्रोडक्ट्स' के श्रमिकों को सीधा 'टारगेट' बनाते हुए कारखानेदारों के झूठे तथ्यों के सामने सच्चाई को भी शर्म आने लगी, जबकि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व लेबर अफसर आनन्द लेते रहे।

बैठक की एक बानगी देखिए। बैठक में उपस्थित रामाविजन प्रा. (लि.) के महाप्रबन्धक बी.सी.शर्मा ने कहा कि होण्डा के प्रबन्धतंत्र ने श्रमिकों के दबाव में उनका वेतन 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 24 हजार रुपये कर दिया

है। वहाँ मौजूद जिलाधिकारी नरेन्द्र भूषण ने भी शर्मा की बात का समर्थन करते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि उनका वेतन भी लगभग इतना ही है। यदि इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो जाय तो मैं सरकारी नौकरी छोड़कर होण्डा सील में नौकरी कर लेता। बैठक में होण्डा के तीन प्रबन्धक भी उपस्थित थे।

सच्चाई यह है कि, लम्बे संघर्षों के बाद, आज भी होण्डा के श्रमिकों का औसत वेतन साढ़े पांच हजार है। सामान्य तौर पर श्रमिकों का वेतन 4300 रुपये है। अब इस बेसिर-पैर के झूठ का क्या अर्थ है?